

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 288/17/3

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant

श्री श्री गृप्ता
जायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
मिशन कार

Name, parentage, caste and address of accused

नरेंद्र सिंह शरणाग्रवाल पारख
मि- लोडीहाट मन्दिर के पास मालवपुरा

The offence, complaint of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 28/10/17 मुकाम
22 लस-पौरा मालवपुरा पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 22 लस-लीटर/पाव/बोतल 22 शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आवकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

श्री श्री गृप्ता
जायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
मिशन कार

अपराध स्वीकार है। यून दण्ड से मुक्ति के लिए कायम है।

नरेंद्र सिंह

श्री श्री गृप्ता
जायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
मिशन कार

// निर्णय //

(आज दिनांक 13/11/17 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।

03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 5000 रुपये में पापक्षी रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 7 का साधारण कारागार की सजा भुगतानी जावे।

04. जमानत सम्पत्ति 22 शेर/पाव/बोतल शराब

एवं नश्वर के कारण अगिल अवधि प्रश्नानुसार

सिद्धांत
न्यायिक प्रसिद्धि प्रथम नल
निष्पन्न पाया